न्यायालय श्री ए0एच0 गौरी, आर0ए0एस0, कलक्टर एवं उपायुक्त
उपनिवेशन, बीकानेर

अपील संख्या 18/2018

भंवर पुरी पुत्र प्रेम पुरी जाति गुसांई निवासी सेवडा तहसील बज्जू जिला बीकानेर

---- अपीलान्ट

बनाम

1— जगदीश
2— जैठपुरी } -- पि0 भंवर पुरी जाति गुसांई साकिन सेवडा तहसील
3— उम्मेद पुरी बज्जू जिला बीकानेर

---- रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति अभिभाषक :—

1. श्री हनुमानगिरि, अभिभाषक, अपीलान्टा
2. श्री जुगल किशोर पुरोहित पैरोकारराज

उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर

—: निर्णय :—

दिनांक :— 16—7—2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपनिवेशन तहसील, गजनेर मुकाम कोलायत की आज्ञा आदेश दिनांक 5—2—1994 इन्तकाल सं0 530 ग्राम सेवडा के विरूद्व निरस्त करने हेतु दिनांक 4—6—2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

(2) संक्षेप में अपीलमीमो के निस्तारणार्थ आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट व अन्य रेस्पोडेन्ट को सबूत व सुनवायी का का अवसर दिये बिना इकतरफा तौर पर अधिनस्थ न्यायालय उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं0 4 हाल उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मु0 कोलायत द्वारा आदेश दिनांक 5—2—2017 स्वीकार किया गया जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) जैर अपील भूमि ग्राम सेवडा के खेत खसरा नम्बर 351 रकबा 17.10 बीघा, खसरा नम्बर 588 रकबा 97 बीघा व खसरा नम्बर 593 रकबा 28.01 बीघा कुल 142.11 बीघा बारानी गैर खातेदारी प्रेमपुरी पुत्र जवाहर पुरी जाति गुंसाई निवासी सेवडा के नाम दर्ज थीं। उक्त वर्णित गैर खातेदारी भूमि प्रेम पुरी के फौत होने पर प्रेमपुरी के वारिस के साथ मे रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 3 अपना नाम गलत वारिस प्रमाण पत्र तैयार करवाकर रिकार्ड मे दर्ज करवा लिया। जबकि रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 3 प्रेमपुरी पुत्र न होकर पौत्र हैं। प्रेमपुरी के

जायज वारिस निम्न प्रकार हैं :– प्रेमपुरी (फौत), तुलसी पत्नी (फौत), भंवरपुरी पुत्र हैं। रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 3 भंवर पुरी के पुत्र हैं प्रेमपुरी के पुत्र न होकर पौत्र हैं जो वर्तमान मे ग्राम पंचायत सेवडा द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र मे रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 3 को वारिस नही बताया गया हैं पहचान पत्र, राशन कार्ड मे रेस्पोडेन्ट सं 1 से 3 के पिता का नाम भंवरपुरी लिखा गया हैं जो सही हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने गलत तथ्य प्रस्तुत कर अपने को प्रेमपुरी का जायज वारिसान बन कर जो नामान्तकरण संख्या 530 दिनांक 05.02.1994 ग्राम सेवडा दर्ज करवाया है हर प्रकार से निरस्त योग्य है।

(4) जैर अपील भूमि की केसीसी बनवाने के लिए हल्का पटवारी से गिरदावरी की नकल लेने के लिए दिनांक 10.05.2018 को गया तो पटवारी हल्का ने समस्त रिकार्ड देख कर बताया कि आपके साथ में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 का नाम दर्ज है तब अपीलान्ट ने अपने पुराने इन्तकाल की नकल लेने वास्ते उसी दिन दिनांक 10.05.2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो बाद तैयारी दिनांक 11.05.2018 को नकल प्राप्त की तथा वकील से सलाह मशवरा करके अपील सर्व प्रथम जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की । अपील सर्व प्रथम जानकरी से अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावे।

अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण संख्या 530 दिनांक 05.02.1994 ग्राम सेवडा निरस्त फरमाते हुये अपील स्वीकार फरमाई जावे।

(5) इस अपील के नोटिस भिजवाये गये। सरकार की ओर से पैरोकारराज उपस्थित आए तथा अपीलान्टगण की ओर से श्री हनुमानगिरी एडवोकेट उपस्थित आये तथा रेस्पोडेण्टगण स01से 3 की ओर से श्री हरिराम विश्नोई एडवोकेड् उपस्थित आये. । अधीनस्थ न्यायालय से इन्तकाल स0530 दिनांक 5.2.1994 ग्राम सेवडा तलब कर पत्रावली के साथ संलग्न करवाया।

(6) बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील अपीलान्ट द्वारा अपीलमीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया तथा प्रथम जानकारी दिनांक 10.5.18 से अपील मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई। शपथ पत्र के खण्डन मे कोई काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया गया । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र तथा प्रस्तुत प्रार्थना पर विश्वास करते हुए अपील मे हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलाधीन नामान्तरणकरण स0 530 प्रेमपुरी पुत्र जवारपुरी के देहान्त के पश्चात् बतौर विरासतन दर्ज किया गया है। जिसमें प्रेमपुरी की पत्नि एवं 4 पुत्र अपीलान्ट अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट स0 1 ता 3 को बताया गया है जबकि अपीलान्ट का कथन है कि रेस्पोडेन्ट स0 1 से 3 उसके पुत्र है जो कि स्व0

11

प्रेमपुरी प्रथम श्रेणी के वारिसान नहीं है जो कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत सेवडा के वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 30–03–2018 व निर्वाचन पहचान पत्र की फोटोप्रतियों से प्रथम दृष्टया प्रमाणित होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 530 दिनांक 05–02–1994 ग्राम सेवडा को निरस्त करते हुए प्रकरण वारिसान की जांच व पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार उपनिवेशन, गजनेर मु0 कोलायत को प्रति प्रेषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16–07–2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए0एच0गौरी)
कलक्टर एवं
उपायुक्त उपनिवेशन
बीकानेर

न्यायालय उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर

2018/00018
20/6/18